राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान, जोधपुर

(राजस्थान राज्य शिक्षा विभागीय डी.पी.एड. प्रवेश ऐजेन्सी)

विवरणिका

डी. पी. एड सत्र 2026

पता :
राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान, जोधपुर
एयरफोर्स क्षेत्र, जोधपुर (राज.) पिन - 342001 दूरभाष : 0291-2941914
E-mail : gpecdped@gmail.com

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा क उद्धेश्य

- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व की समझ का विकास करना स्वास्थ्य संबंधी प्रवृतियों में भाग लेने एवं स्वास्थ्य रक्षा क प्रसाधनों को उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिये स्वच्छता, व्यायाम, आराम, निंद्रा, भोजन आदि से संबंधित स्वस्थ आदतों का विकास करना।
- विद्यार्थियों में मूलभूत प्रवृतियों, आंगिक क्षमता, गति एवं खेल कौशल का विकास करना।
- बालको में उचित शारीरिक प्रवृतियों के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास कर स्वयं की प्रतिभा को पहचानने की ओर उन्मुख करना।
- बालकों में खेलकूद को मनोरंजन प्रवृति के रूप में अपनाने की मनोवृति का विकास करना।
- विद्यार्थियों में सुनागरिकता, नेतृत्व एवं सामुदायिक व्यवहार की मनोवृति का विकास करना।
- विद्यार्थियों में सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, भ्रातृत्व–भाव, समूह सद्‌भाव, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास आज्ञा पालन आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना।
- अवकाश के क्षणों के सदुपयोग एवं स्वस्थ मनोरंजन की भावना का विकास करना।
- विद्यार्थियों में देश भक्ति के गुण पैदा कर उन्हें देश रक्षार्थ सामर्थ्यवान बनाना जिससे वे उत्साही एवं क्रियाशील जीवन जीने योग्य बन सके।

1. प्रशिक्षण

   पाठ्‌यक्रम का नाम डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड अवधि न्युनतम उपस्थिति 220 कार्यदिवस (एक शिक्षा सत्र में 200 कार्य दिवस से अधिक होगा) पाठ्‌यक्रम कुल दो वर्ष को होगा।

2. उद्धेश्य

   इस प्रशिक्षण का उद्धेश्य विद्यालयों के लिये प्रति वर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निदेशक तैयार करना है ताकि शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जिससे विशेषतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास में शारीरिक शिक्षा अपना पूर्ण योगदान कर सके।

3. मान्यता एवं संबंद्यता

   राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर तथा अन्य संबद्ध निजी महाविद्यालयों के प्रशिक्षण को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा पाठ्‌यक्रम शिक्षा विभाग से संबंद्ध है।

4. प्रवेश हेतु महाविद्यालय,सीटे एवं परीक्षा संबद्धता

   इस सत्र के लिये राज्य सरकार के लिये स्वीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित डीपीएड पाठ्‌यक्रम हेतु संस्थावार, स्थान निम्न प्रकार है।

क्र0सं	नाम महाविद्यालय	सीटों की संख्या	परीक्षा संबद्धता प्रदाता विश्वविद्यालय
1.	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर	50	शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
2.	रीजनल टी0टी कॉलेज प्रतापगढ़	50	शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
कुल सीटें		100	

5. गतिविधियॉ

प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देनें के साथ–साथ उनका सर्वांगीण विकास करने के लिये महाविद्यालय में अन्य गतिविधियों का भी समय–समय पर आयोजन कराया जाता है। समस्त गतिविधियों के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सत्र पर्यन्त संचालित की जाने वाली गतिविधियॉ निम्नानुसार हैः–

5.1 शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक

समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक गतिविधियॉ प्रतिदिन तीन पारियो में संचालित की जाती है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को तीन पारियों में उपस्थित रहना अनिवार्य है, तभी उसकी उपस्थिति एक गिनी जाती है। प्रातः एवं सांय की पारियॉ प्रायोगिक कार्यो के लिये तथा दिन की पारी सैद्धान्तिक कार्यो के लिये निर्धारित है। इन पारियो के बीच के अन्तराल में प्रशिक्षणार्थियों को स्नान, भोजन, स्वाध्याय, चर्चा, आराम आदि के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध रहता है।

5.2 प्रायोगिक

प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रायोगिक कार्यो हेतु मौसम के अनुरूप खेल पोशाक निर्धारित है। प्रायोगिक कक्षाओं के लिये चार कालांश प्रातः एवं चार कालांश सांय की पारी में होते है। पूरे बैच को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। समय विभाग चक्र के अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण अनुशासन में सम्पन्न कराया जाता है।

5.3 सैद्धांन्तिक

दिन की पारी में सैद्धांन्तिक विषयों का अध्यापन सम्पन्न कराया जाता है। इसमें विद्यार्थी गणवेश में आते है। कक्षा में विषय से संबंधित व्याख्यान दिये जाते है, चर्चा की जाती है। इसके अलावा पुस्तकालय संदर्भ ग्रंथों से अध्यापन किया जा सकता है।

5.4 इन्ट्राम्यूरल्स एवं एक्स्ट्राम्यूरल्स (अन्तर सदनीय–बाह्य सदनीय प्रतियोगिता)

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्धेश्य से सत्र पर्यन्त अन्तर सदनीय एवं बाह्य सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के दल विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं तथा एथलेटिक्स मीट का आयोजन करते है।सफलता पूर्वक आयोजन के लिये वे स्टॉफ सदस्यो से मार्गदर्शन प्राप्त करते है। प्रतियोगिता का संचालन शुभारम्भ तथा समापन आर्दश रीति से किया जाता है इनसे प्रशिक्षणार्थियों में आयोजन हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है।

5.5 परीक्षाएँ

प्रशिक्षणार्थियों के आंतरिक मूल्याकंन हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन में अंक विभाजन योजना के अनुसार सत्र के दौरान सामयिक, प्रायोगिक तथा सैद्धांन्तिक जांच आयोजित की जाती है। सत्रान्त में वार्षिक, प्रायोगिक तथा सैद्धांन्तिक परीक्षाये पंजीयक विभागीय परीक्षाये बीकानेर द्वारा आयोजित की जाती है। समस्त परीक्षाओं के लिये भाषा माध्यम हिन्दी व अंग्रेजी होता है।

6. उपस्थिति, पंचाग, अवकाश आदि

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों के लिये सैद्धांन्तिक, प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं पाठ्याभ्यास आदि में कुल उपस्थिति संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 दिन होनी अनिवार्य है। जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति कम होगी वे परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिये जायेंगे। महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम अनुरूप शिक्षा विभाग, राजस्थान के पंचाग के अनुसार संचालित होगें।

7. अन्य गतिविधियॉ

मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्र पर्यन्त प्रत्येक कार्य दिवस के शनिवार को सैद्धांन्तिक कक्षाओं के स्थान पर प्रशिक्षणार्थियो द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वो को समारोह पूर्वक मनाया जाता है।

8. व्याख्यान, क्लीनिक आदि

ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्ो से व्यवसायिक उन्नयन हेतु समय—समय पर सुविधानुसार व्याख्यान दिलाये जाते है।

9. शुल्क छात्रवृति एवं सहायता

राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीपीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष में 16350/— व द्वितीय वर्ष हेतु 16150/—निर्धारित किया गया है। आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार शिक्षण शुल्क में छुट देय होगी।

10. प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश पात्रता एवं इस हेतु निर्धारित योग्यताः

10.1 शैक्षणिक योग्यता

विद्यानानुसार गठित एवं विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 10 + 2 सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान व केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड के मान्यता प्राप्त आशार्थी आवेदन कर सकते है। इन आशार्थियों को साक्षात्कार के समय उत्तीर्ण की गई मूल अंक तालिका अपने विद्यालय से प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा अपात्र घोषित माने जायेगें।

10.1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंको में से अधिकतम अंक 20 सैकेण्डरी एवं 20 अंक सीनियर सैकण्डरी माने जायेगें।

10.1.2 पूरक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किये जाते है उन्हें न मान कर मात्र उतीर्णाक संबंधित विषय/विषयों में (न्यूनतम अंक) एवं परीक्षा के अन्य विषयों को जोड कर प्रतिशत वरियतांक दिये जायेगें।

10.1.3 श्रेणी सुधार हेतु छात्र–छात्राओं के द्वारा जिस परीक्षा में कुल अधिकतम अंक प्राप्त किया जाता है, उन्हें मान कर ही वरियता सूची बनाई जायेगी। अंक सुधार प्राप्तांकों की वरियता बनाने में आधार नहीं लिया जायेगा।

10.2 एनसीसी अंक निर्धारण

प्रशिक्षणार्थियों को एनसीसी एवं खेल के सर्टिफिकेट के अनुसार अंक दिये जायेगें जो निम्नानुसार है :

एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 04 अंक, बी सर्टिफिकेट के 06 अंक, अंक दिये जायेगें।

10.3 खेल अंक निर्धारण

प्रशिक्षणार्थियों को खेल के सर्टिफिकेट के अनुसार अंक दिये जायेगें जो निम्नानुसार है :

जिला स्तरीय संभागी को 01 अंक, तृतीय स्थान को 02 अंक, द्वितीय को 04 तथा प्रथम स्थान प्राप्त सर्टिफिकेट को 06 अंक दिये जायेगें।

राज्य स्तरीय संभागी को 08 अंक, तृतीय को 12 अंक, द्वितीय को 15 तथा प्रथम स्थान प्राप्त सर्टिफिकेट को 18 अंक दिये जायेंगे।

राष्ट्रीय स्तरीय संभागी (एसजीएफआई) को 19 अंक, द्वितीय बार भाग लेने वाले को 21 अंक तथा तृतीय बार भाग लेने वाले को 24 अंक, चतुर्थ बार भाग लेने वाले 27 अंक, पंचम बार भाग लेने वाले को 30, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 35 अंक, द्वितीय को 42, एवं प्रथम को 50 अंक दिये जायेगें।

10.3.1 खेल क्रिड़ा कौशल स्तर योग्यता

खेलकूद प्रतियोगिताये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, I.P.S.C/D.A.V/C.I.S.C.E/I.B.S.O,संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विद्यालय समिति(NVS),केन्द्र विद्यालय संगठन(KVS) द्वारा जिला स्तर की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियो/विजेता खिलाडियों को उपलब्धि अनुसार अंक दिये जा सकेगें।

10.3.1 निर्देश 10.3 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि नवोदय विद्यालय समिति एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय स्तर की एक टीम स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता एक राज्य के रूप में भाग लेती है। अतः नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय के राष्ट्रीय क्रिड़ा प्रतियोगिता को राज्य स्तर तथा संभाग स्तर क्रिड़ा प्रतियोगिता को जिला स्तर के समकक्ष व स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष माना जायेगा।

10.3.2 अन्तर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता संभागी को निर्देश 10.7 में वर्णित योग्यताऐ पूर्ण करने पर सीधा ही प्रवेश दिया जायेगा।

10.4 आयु

डीपीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार चालू वर्ष की 01 जुलाई से होगा। 01 जुलाई को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पुरूष वर्ग (सामान्य) 23 वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छूट अनुसार अधिकतम आयु 28 वर्ष है।

10.5 शारीरिक योग्यता :

डीपीएड में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो एवं उसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलो को खेलने में शारीरिक अयोग्यता विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं नितांत बहरापन नहीं होना चाहिये। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिये। उक्त अयोग्यताये होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान अयोग्यताये होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

उक्त शारीरिक अयोग्यताये न होने एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त करना होगा जो 15 दिन से पूर्व का नहीं होना चाहिये।

निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारे में यदि कोई संचय हो तो प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा नियमानुसार गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जायेगा जिसकी रिर्पोट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जायेगा।

10.6 वरियता निर्धारण

10.1 अनुसार शैक्षणिक योग्यता के अंक, 10.2 अनुसार एन सी सी के अंक ,10.3 अनुसार उच्चतम खेल के अंक तीनों को मिलाकर वरीयता बनाकर प्राप्त आवेदन पत्रों को सर्वप्रथम कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.2019 एवं समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार आरक्षण/रोस्टर निर्धारित कर अस्थाई वरियता सूची बनाई जाएगी।

10.7 शारीरिक क्षमता परीक्षण

प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु अंतिम वरीयता बनाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार वर्गवार आवंटित सीटो के लिए चार गुना आशार्थियों की अस्थाई वरीयता सूची अनुसार शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) के लिए बुलाकर निर्देश में दी गई शारीरिक क्षमता परीक्षण सारणी की लिंग एवं आयू वर्गानुसार उल्लेखित पॉचों विधाओं में शारीरिक क्षमता परीक्षण देना होगा। उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) की शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) महिला वर्ग की सारणी अनुसार किया जायेगा। जिसमें उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कम से कम 40 प्रतिशत अर्थात आधार अंक 40 प्राप्त करना

अनिवार्य होगा। आधार अंक 40 प्राप्त न करने पर संबंधित का नाम अस्थायी वरियता सूची से विलोपित हो जायेगा एवं यह प्रवेश हेतु पात्र नही होगा यह अंक मात्र शारीरिक क्षमता परीक्षण उतीर्ण करने के लिये होगें एवं वरियता निर्धारण अंको में नहीं जुडेगें।

10.8 खेल कौशल परीक्षणः

प्रवेशार्थी को प्रवेश पूर्व साक्षात्कार के समय उसके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम खेल प्रमाण पत्र से संबंधित खेल कौशल परीक्षण में निर्धारित 10 अंकों में से न्यूनतम 5 अंक प्राप्त करना है। 5 अंक प्राप्त न करने की अवस्था में प्रवेश योग्य नहीं माना जायेगा। इन अंको को वरियता निर्धारण अंको में नहीं जोडा जायेगा।

11. आवेदन प्रक्रियाः

प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन दिनांक 20.08.2025 से 31.08.2025 तक भरे जायेगें तत्पश्चात आवेदन पत्र की हार्डकॉपी मय स्वप्रमाणित संलग्न दस्तावेज व भरे हुए आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद महाविद्यालय में दिनांक 06.09.2025 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत जमा करवाना होगा। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12. आरक्षण

डीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों में राज्य स्तर की मेरिट में अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 12 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 21 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग 5 प्रतिशत, आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य 10 प्रतिशत, महिला वर्ग के लिये 30 प्रतिशत (20ः 8ः2ः) आरक्षित रहेंगी तथा ऐसी आरक्षित सीटों के रिक्त रहने पर उन पर प्रवेश सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों की नियमानुसार बनी वरियता के आधार पर दिया जायगा।

13. प्रवेश प्रक्रिया निर्देश के नोटः

13.1 निर्देश 10.6 में दी गई वरीयता निर्धारण परिणाम स्वरूप आने वाली वरीयताओं में अंन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाडी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रक्रिया निर्देश में दर्शाई गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश के अधिकारी होगें।

13.2 वरीयता सूची बनाते समय यदि दो या अधिक प्रवेशार्थियों के प्राप्तांक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में जो बडा हो उसे उसी अनुरूप वरियता में स्थान दिया जायेगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में जाये तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहलें आये उसे वरीयता में वरिष्ठ स्थान पर रखा जायेगा।

14. प्रमाण–पत्र

जॉच करते समय यह देखा जायेगा कि निम्न प्रमाण पत्र क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किये गये है। जारी प्रमाण पत्र की सक्षमता की पुष्टि होने पर ही प्रमाण पत्र वैध माने जायेगें अन्यथा वे अमान्य होगें तथा उन पर कोई लाभ देय नहीं होगा। यदि इन प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई संदेह की स्थिति प्रवेश आवेदन पत्रों की जॉच एवं मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के समय उत्पन्न होती है, जॉच एवं जॉच के प्रमाण पत्रों के गलत/असत्य/अप्रमाणित/जाली पाये जाने पर प्रवेश प्रक्रिया की प्रथम स्थिति में प्रवेश नही

दिया जायेगा एवं प्रशिक्षण अवधि की द्वितीय स्थिति में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं दोषी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

14.1 अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछड़ वर्ग/आर्थिक रूप से पिछडे सवर्ण का प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी दण्डनायक/तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित हस्ताक्षरित होना चाहिये एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का जारी नहीं होना चाहिए । अन्य पिछडा वर्ग व अति पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वर्ष के 01 जुलाई से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए व यदि पुराना हो तो उसे मान्य करने हेतु नियमानुसार संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करे लेकिन वो प्रमाण पत्र भी चालू वर्ष की 01 जुलाई से तीन वर्ष तक ही मान्य होगा एवं शपथ पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का जारी नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछडे सवर्ण का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 व निर्धारण वर्ष 2026–27 का होना चाहिए एवं राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार अगर कोई EWS प्रमाण पत्र पुराना जारी हुआ है तो प्रार्थी उसे आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के निर्धारित मापदंडो के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्तिथि में पूर्व में जारी EWS प्रमाण पत्र के साथ सत्यापित संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी EWS प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम चालू वर्ष की 01 जुलाई से 03 वर्ष के लिए किया जा सकता है एवं शपथ पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का जारी नहीं होना चाहिए।

14.2 खेल क्रिडा प्रमाण पत्र प्रवेशार्थी द्वारा संलग्न किये जायेगें उसके लिये यह आवश्यक है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी चैनल लेवल के मूल खेल प्रमाण पत्र साथ लाये मतलब राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता –राज्य स्तर प्रतियोगिता –जिला स्तर प्रतियोगिता जो भी आप से सम्बंधित हो एवं जिस स्थान पर वह अध्यनरत रह कर खेला हो, के संस्था प्रधान से प्रमाणित हो। प्रवेशार्थी स्वंय का यह दायित्व है कि वह प्रमाण पत्र का उनसे प्रमाणिकरण कर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करें। यदि प्रमाण पत्र अप्रमाणित रहा तो उस पर कोई अंक देय नहीं होगें। यदि मूल प्रमाण पत्रों के प्रतिपृष्ठ भाग पर प्रमाणिकरण किया हुआ हो तो प्रमाण पत्र के दोनो पृष्ठों की सत्यापित छॉया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

14.3 पिता/संरक्षक द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र : प्रवेशार्थी के पिता के जीवित होने पर पिता द्वारा एवं पिता क जीवित न होने पर माता/संरक्षक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। अविवाहित महिला/विधवा होने पर पिता द्वारा एवं विवाहित होने पर यह प्रमाण पत्र उसके पति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में पिता/संरक्षक/पति द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने एवं प्रवेशार्थी का स्वयं व्यय वहन करने हेतु सहमति देता हूॅ और पूर्ण प्रशिक्षण काल में प्रवेशार्थी के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्वों का वहन करूंगा। यह प्रमाण पत्र अंतिम चयन होने पर देना अनिवार्य है।

15. वरीयता एवं साक्षात्कार सूचना

वर्गवार अस्थाई वरीयता सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जायेगी और उसी के अनुसार निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण हेतु प्रवेशार्थी को राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर में बुलाने की सूचना वांछित निर्देश सहित महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी कर दी जायेगी।

प्रवेशार्थी का स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जायेगा कि आवेदन पत्र के साथ संलंग्न दर्शाए समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियॉ साथ लानी आवश्यक है अन्यथा जिन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रवेशार्थी प्रस्तुत नहीं कर पायेगा उस दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा एवं यदि उसके कारण वह अस्थाई वरीयता में स्थान प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उसका नाम अस्थाई वरीयता सूची से हटा दिया जायेगा।

शारीरिक क्षमता परीक्षण सारिणी

शारीरिक क्षमता परीक्षण निम्नांकित सारणियों के अनुसार आयु एवं लिंग के आधार पर लिया जायेगा।

शारीरिक क्षमता परीक्षण प्रणाली

(अ) पुरूष वर्ग (18 से 35 वर्ष तक)

प्राप्तांक सारिणी (मानदण्ड)

अंक	100 मीटर दौड (सैकण्ड)	गोला फेंक (मीटर)	लम्बी कूद (मीटर)	ऊँची कूद (मीटर)	800 मीटर दौड(मिनट)	अंक
100	10.7	9.60	6.70	1.75	2.05	100
90	11.5	8.90	5.35	1.65	2.15	90
80	12.3	8.20	5.00	1.55	2.25	80
70	13.1	7.50	4.65	1.45	2.35	70
60	13.9	6.80	4.30	1.35	2.45	60
50	14.7	6.10	3.95	1.25	2.55	50
40	15.5	5.40	3.60	1.15	3.05	40
30	16.3	4.70	3.25	1.05	3.15	30
20	17.1	4.00	2.90	0.95	3.25	20
10	17.9	3.30	2.55	0.85	3.35	10
00	18.7	2.50	2.20	0.75	3.45	00

शारीरिक क्षमता परीक्षण प्रणाली

(ब) महिला वर्ग (18 से 35 वर्ष तक)

प्राप्तांक सारिणी (मानदण्ड)

अंक	100 मीटर दौड (सैकण्ड)	गोला फेंक (मीटर)	लम्बी कूद (मीटर)	ऊँची कूद (मीटर)	200 मीटर दौड (सैकण्ड)	अंक
100	13.6	7.80	5.20	1.44	25.00	100
90	14.2	7.20	4.85	1.37	27.00	90
80	14.8	6.60	4.50	1.30	29.00	80
70	15.4	6.00	4.15	1.23	31.00	70
60	16.0	5.40	3.80	1.16	33.00	60
50	16.6	4.80	3.45	1.09	35.00	50
40	17.2	4.20	3.10	1.02	37.00	40
30	17.8	3.60	2.75	0.95	39.00	30
20	18.4	3.00	2.40	0.88	41.00	20
10	19.0	2.40	2.05	0.81	43.00	10
00	19.6	1.80	1.70	0.74	45.00	00

नोटः— पूर्व में बनी अस्थाई वरियता सूची में से ऐसे प्रवेशार्थियों का नाम हटा दिया जायेगा जो शारीरिक क्षमता एवं खेल कौशल परीक्षण न्यूनतम औसत आधार अंक क्रमशः 40 एवं 5 अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहते है।

प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए प्रवेशार्थी हेतु पौशाक एवं उपकरण

सैद्धान्तिक

पुरूष प्रशिक्षणार्थी	महिला प्रशिक्षणार्थी
नेवी ब्ल्यू फुल पैण्ट	पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की भांति
सफेद शर्ट, पूरी आस्तीन	अथवा
ब्लेजर	नेवी ब्ल्यू सलवार, कमीज—सफेद
सफेद जुराब	अथवा
काले जूते (पोलिश वाले कस्सेदार)	सफेद साड़ी—ब्लाऊज एवं
काला बेल्ट	ब्लेजर

प्रायोगिक

पुरूष प्रशिक्षणार्थी	महिला प्रशिक्षणार्थी
ट्रेक शूट	ट्रेक शूट
टी शर्ट कॉलर वाला	टी शर्ट गोल गले वाला
निकर	डिवाइडर स्कर्ट
सफेद स्पोर्ट्स शूज/पी.टी शूज	सफेद स्पोर्ट्स शूज/पी.टी शूज
सफेद जुराब	सफेद जुराब

नोट :— प्रवेशार्थी को आवंटित संस्था अनुसार कलर आदि में भिन्नता हो सकती है। इनकी सूचना संबंधित संस्था में प्रवेश पर मिलेगी।

अन्य सामग्री :—(पुरूष एवं महिला प्रशिक्षणार्थी, दोनों के लिए अनिवार्य साथ लाने है)
हॉकी स्टिक, बेडमिन्टन रैकेट, टी.टी.बैट (व्यक्तिशः खेल अनुसार), पॉकेट डायरी, पेन रजिस्टर, थाली, चम्मच, कटोरी, लोटा, गिलास, मग, बाल्टी, मौसम के अनुरूप बिछाने एवं ओढने हेतु बिस्तर, मच्छरदानी, ताला इत्यादि साथ लाना है।

डी.पी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधि आचार संहिता

- महाविद्यालय में अनुशासन में रहना अनिवार्य है।
- समय की पाबंदी एवं नियमों का पालन पूर्ण रूप से करें।
- महविद्यालय में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित गणवेश में उपस्थित होना होगा।
- ऐसा कोई भी कार्य जिससे महाविद्यालय प्रतिष्ठा को ठेस पहुॅचती है, दण्डनीय कार्य माना जायेगा।
- बिना अनूमति एवं बिना सूचना के लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी के प्रवेश निरस्त होने की जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थी स्वयं की होगी।
- वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिये प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस उपस्थित रहना अनिवार्य है। कुल दो सत्र होगें।
- उपस्थिति की कमी से परीक्षा में बैठने से वंचित रहने की जिम्मेदारी प्रशिक्षणार्थी स्वयं की होगी।
- महाविद्यालय की किसी भी सामग्री का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। लापरवाही से नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदारी एवं भरपाई प्रशिक्षणार्थी की होगी।
- महाविद्यालय में सद्भावना एवं भाईचारे का वातावरण बनाये रखना एवं व्यवहार में विन्रमता / मधुरता आवश्यक होगा।
- छात्रावास सुविधा उपलब्ध होने की स्तिथि में छात्रावास में अपने मित्रों एवं मेहमानों को बुलाना, उन्हें रोकना, रात्रि में ठहराना सख्त मना है। दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- महाविद्यालय परिसर में नशीले पदार्थो को रखना उनका सेवन करने पर दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- महाविद्यालय / संस्था के नियम मान्य होगें।

समन्वयक डीपीएड प्रवेश 2026

अन्य पिछडा वर्ग व अति पिछड़े वर्ग शपथ पत्र का प्रारूप

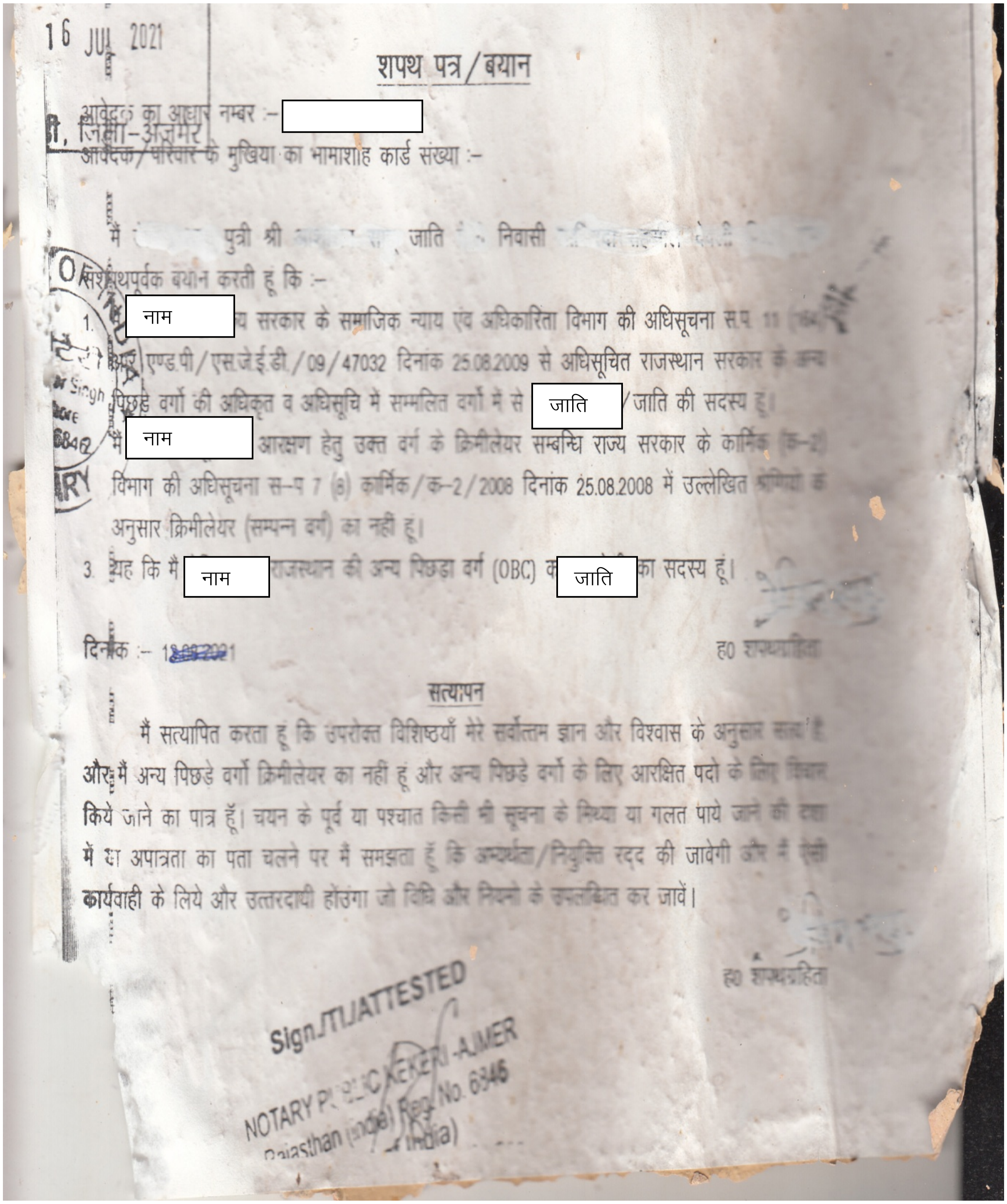

16 JUL 2021

शपथ पत्र/बयान

आवेदक का आधार नम्बर :-

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :-

मैं [illegible] पुत्री श्री [illegible], जाति [illegible] निवासी [illegible] सशपथपूर्वक बयान करती हू कि :-

1. नाम [illegible]य सरकार के समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की अधिसूचना स.प 11 (64) आर एण्ड.पी/एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान सरकार के अन्य पिछडे वर्गो की अधिकृत व अधिसूचि मे सम्मलित वर्गो में से जाति/जाति की सदस्य हू।
2. मैं नाम आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर सम्बन्धि राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना स-प 7 (8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2008 में उल्लेखित श्रेणियो के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का नही हू।
3. यह कि मैं नाम राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क जाति का सदस्य हूं।

दिनांक :- 1[illegible]2021

ह0 शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हू कि उपरोक्त विशिष्ठयाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अन्य पिछडे वर्गो क्रिमीलेयर का नहीं हूं और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रदद की जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होउंगा जो विधि और नियमो के उपलब्धित कर जावें।

ह0 शपथग्रहिता

Sign./TI/ATTESTED
NOTARY PUBLIC KEKRI-AJMER
Rajasthan (India) Reg. No. 6346

आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र

शपथ–पत्र

(वित्तिय वर्ष..................)

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या	

1. मैं ______ पुत्र/पुत्री/पति/ श्री ______

निवासी ______

गांव/शहर ______ तहसील ______ जिला ______

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वित्तिय वर्ष ....के लिये अर्हाता रखता/रखती हूं। मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रू से कम है ।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी...जिला...............................द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.................................दिनांक...जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति/चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंउगा जो विधि और नियमों के विरूद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांकः–..........................

स्थानः–............................

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

34

EWS /varun

0141-2226642 Email - sje.bc@rajasthan.gov.in